

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/स्थापना/अ-1/679/17/3

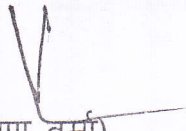
भोपाल दिनांक 16/04/2025

//आदेश//

श्री भगवंत सिंह चौहान, (निलंबित) मण्डी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति, सनावद जिला खरगोन संबंध म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर को विभागीय जाँच जारी रखते हुये निलंबन से बहाल किया जाकर अन्य आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कृषि उपज मंडी समिति, धार जिला धार में रिक्त मण्डी निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया जाता है।

श्री भगवंत सिंह चौहान, (निलंबित) मण्डी निरीक्षक के निलंबन अवधि के वेतन भत्ते आदि स्वत्वों का निराकरण उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार देय होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


(प्रवीण वर्मा)

उपसंचालक (स्थापना)

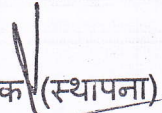
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

भोपाल दिनांक 16/04/2025

क्रमांक/स्थापना/अ-1/679/17/4

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- 2- संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर।
- 3- उप संचालक, (विभागीय जाँच) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- 4- भारसाधक अधिकारी/सचिव/कृषि उपज मण्डी समिति, सनावद जिला खरगोन/धार जिला धार।
- 5- श्री भगवंत सिंह चौहान, मण्डी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति, सनावद जिला खरगोन की ओर पालनार्थ।
- 6- आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गो.च./विभागीय जाँच/सतर्कता शाखा /कम्प्यूटर शाखा/मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।


उपसंचालक (स्थापना)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल